रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235389
CG-DL-E-27042022-235389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 320(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 में, नियम 3 में, उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) इस नियम में सन्निहित कुछ भी किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा धारा 77 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में यथापेक्षित सृजित अथवा आशोधित किसी भी प्रभार के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 के खंड (4) के उप-खंड (घ) के तहत कोई ऋण अथवा अग्रिम उसके पास भेजा गया हो।"।

[फा. सं. 01/10/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि.248(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा इसमें बाद में संशोधन किया गया, अर्थात्:–

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.440(अ)	29 मई, 2015;
2.	सा.का.नि.339(अ)	07 अप्रैल, 2017;
3.	सा.का.नि.614(अ)	05 जुलाई, 2018;
4.	सा.का.नि.1218(अ)	18 दिसंबर, 2018; और
5.	सा.का.नि.342(अ)	30 अप्रैल, 2019।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2022

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by section 77 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, in rule 3, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) Nothing contained in this rule shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favour of the Reserve Bank of India when any loan or advance has been made to it under sub-clause (d) of clause (4) of section 17 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).".

[F.No. 01/10/2013 CL-V]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R 440(E)	29th May, 2015;
2.	G.S.R. 339 (E)	7th April, 2017;
3.	G.S.R. 614 (E)	5th July, 2018;
4.	G.S.R. 1218 (E)	18th December, 2018;and
5.	G.S.R. 342 (E)	30th April, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.27 22:24:53 +05'30'